

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
अमराराम पुत्र लालाराम जाति मेघवंशी  
निवासी गुडालास तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/ 643  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
17/10 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम गुडालास स्थित भूमि खसरा न0 143, 153, 162 कुल खसरा 3 कुल रकबा 8.8300 हैक्टर किस्म बरानी अक्वल, गै.मु.तेड कुल लगान 61.4600 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, गुडालास एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्दाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

वादीगण  
अमराराम पुत्र लालाराम जाति मेघवंशी  
निवासी गुडालास तहसील बाली वगौरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली


**किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/643**  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्ई व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम गुडालास स्थित भूमि खसरां न0 143, 153, 162 कुल खसरा 03 कुल रकबा 8.8300 हैक्टर किस्म बारानी अब्बल, गै.मु.तेड कुल लगान 61.4600 के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, गुडालास एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/10/25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्णोई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
उपखण्ड अधिकारी, बाली



- रामलाल पुत्र लालराम
- अमराराम पुत्र लालराम
- डुंगाराम पुत्र लालराम
- कीकाराम पुत्र लालराम
- उम्मेदमल पुत्र लालराम

Scale 1:4000

खसरा संख्या : 153 क्षेत्रफल : 7.0900 Hectare खाता संख्या : 135 पुराना खाता संख्या : 42

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी अक्वल [ 7.0900, 49.63 ]

- 1.) अमराराम पुत्र लालराम हिस्सा- 1/5 जाति- मेगवंशी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/5 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा FALNA, PALI, RAJASTHAN.
- 2.) उम्मेदमल पुत्र लालराम हिस्सा- 1/5 जाति- मेगवंशी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/5 ( पूर्ण खाता ) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रानी
- 3.) कीकाराम पुत्र लालराम हिस्सा- 1/5 जाति- मेगवंशी सा. देह खातेदार
- 4.) डुंगाराम पुत्र लालराम हिस्सा- 1/5 जाति- मेगवंशी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/5 ( पूर्ण खाता ) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रानी
- 5.) रामलाल पुत्र लालराम हिस्सा- 1/5 जाति- मेगवंशी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/5 ( पूर्ण खाता ) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रानी

अमराराम पुत्र लालराम

रामलाल पुत्र लालराम

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर  
पटवारी (भू.अ.)  
पटवार मण्डल, बाली, जिला-पाली (राज.)

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
  2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

उम्मेदमल  
अमराराम